

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोकसर्वेल फोन न.0291-2636753 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com
क्रमांक: एफ (139)/एफ.सी.ए/उवसं/2022/624 दिनांक: 25/01/2023

निमित्त:-Assistance Engineer (T&C)

132 KV GSS, MBM Engineering College
Rajasthan Rajya Vidyut Parsarn Nigam Limited
Bhadala, Tehsil- Phalodi
Dist- Jodhpur (Rajasthan) PIN-334 003

विषय:- Diversion of 0.1004 Ha. for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil -Bap, District -Jodhpur (Rajasthan), Proposal No FP/RJ/TRANS/145262/2021

संदर्भ:-राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (156) वन/2022
दिनांक 09.01.2023 (छायांप्रति संलग्न)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09.01.2023 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 0.1004 Ha. for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil -Bap, District -Jodhpur (Rajasthan), Proposal No FP/RJ/TRANS/145262/2021 में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर, शेष शर्तों की भी पालना/वचनबद्धता रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें:-

बिन्दु संख्या 9-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 0.1004X1028000 रूपये = 1,03,000/- (अक्षरे एक लाख तीन हजार रूपये मात्र) ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

बिन्दु संख्या 11:-प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वनविभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि रूपये 1,07,869/- (अक्षरे एक लाख सात हजार आठ सौ उनसत्तर रूपये मात्र) ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

बिन्दु संख्या 12- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.20009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N GodavarmanThirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार Open Forest NPV@ 6,70,140 = 0.1004X670140 रूपये = 67,282/- (अक्षरे सड़सठ हजार दो सौ बैयासी रूपये मात्र) रूपये ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

कृ०पृ०उ०

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1 से 8, 10 एवं 13 से 15 की बिन्दुवार पालना/वचनबद्धता सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑन लाइन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावे। इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों को एक मूल प्रति व 4 सेट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाणित प्रतियों की पालना के साथ इस कार्यालय में उपलब्ध करावें, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(अजित उवोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक: सम/

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर



उप वन संरक्षक
जोधपुर